|| निदेशालय, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर ||

प्लाट नं.–04/01/10–11, सेक्टर नम्बर 04, विद्याधर नगर, जयपुर – 302029
फोन :– 0141–2612018, ,फैक्स : 0141–2603407, ई–मेल : trg.hghq.rj@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– DHG/TRG-2/Enroll-2(1)/2022-00073-PartFile(2) 3000 दिनांकः– 10/09/2025

ई–बोली आमंत्रण सूचना

अभ्यर्थियों की वैज्ञानिक तकनीक से शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) एवं शारीरिक मापतौल (PST) हेतु ई–बोली (e-Bid) आमंत्रित की जाती है। बोली दस्तावेजों को दिनांक 11.09.2025 को दोपहरः 12.00 बजे से वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकेगा तथा बोली दिनांक 07.10.2025 को प्रातः 11.00 बजे तक निर्धारित दस्तावेजों के साथ इलैक्ट्रॉनिक फॉरमेट में उक्त वेबसाईट पर Upload कर प्रस्तुत की जा सकेगी।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(5) वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ऑनलाईन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि एक ही चालान से ऑन–लाईन, ई–ग्रास (e-GRAS) सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना अनिवार्य है।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(5) वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 09.07.2020 में ई–ग्रास पोर्टल पर ऑनलाईन चालान से फीस जमा करवाये जाने की पूर्ण प्रकिया दी गई है। ई–बोली की तकनीकी बिड (Technical Bid) दिनांक 07.10.2025 को 01.00 पी.एम. पर खोली जावेगी।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तो एवं तत्संबंधी अन्य विवरण को वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा विभागीय वेबसाईट http://home.rajasthan.gov.in/homeguards अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन Procurement पोर्टल (http://sppp.rajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है।

NIB CODE: HGR2526A0004
UBN No. : HGR2526SLOB00004

(पी. रामजी, IPS)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
गृह रक्षा राजस्थान
जयपुर

।। निदेशालय, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर ।।

प्लाट नं.–04/01/10–11, सेक्टर नम्बर 04, विद्याधर नगर, जयपुर – 302029
फोन :– 0141–2612018, ,फैक्स : 0141–2603407, ई–मेल : trg.hghq.rj@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– **DHG/TRG-2/Enroll-2(1)/2022-00073-PartFile(2)** 3001 दिनांकः– 10/09/25

विस्तृत ई–बोली आमंत्रण सूचना

अभ्यर्थियों की वैज्ञानिक तकनीक से शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) एवं शारीरिक मापतौल (PST) हेतु ई–बोली (e-Bid) आमंत्रित की जाती है। बोली दस्तावेजों को दिनांक 11.09.2025 को प्रातः 12.00 बजे से वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकेगा तथा बोली दिनांक 07.10.2025 को प्रातः 11.00 बजे तक निर्धारित दस्तावेजों के साथ इलैक्ट्रॉनिक फॉरमेट में उक्त वेबसाईट पर Upload कर प्रस्तुत की जा सकेगी।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(5) वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ऑनलाईन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि एक ही चालान से ऑन–लाईन, ई–ग्रास (e-GRAS) सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना अनिवार्य है।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(5) वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 09.07.2020 में ई–ग्रास पोर्टल पर ऑनलाईन चालान से फीस जमा करवाये जाने की पूर्ण प्रकिया दी गई है। ई–बोली की तकनीकी बिड (Technical Bid) दिनांक 07.10.2025 को 01.00 पी.एम. पर खोली जावेगी।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तो एवं तत्संबंधी अन्य विवरण को वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा विभागीय वेबसाईट http://home.rajasthan.gov.in/homeguards अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन Procurement पोर्टल (http://sppp.rajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है।

क.सं.	सेवा का नाम	अनुमानित मात्रा	कुल अनुमानित कीमत (लाखों में)	बोली प्रतिभूति	बोली प्रपत्र शुल्क	सप्लाई अवधि (दिनों में)
1	**1. Physical Efficiency Test (PET):-** **Phase-I:-** RFID technology will be used for time measurement in running events: **1000 M(1 kilometer) for male and 800 M for female candidates.** **Phase-II:-** Digital equipment will be used for these events: chin-ups for male and Shot put for female **candidates.** **2. Physical Standard Test(PST):-** **Automatic Computerised Digital Height\ Weight machine** equipment will be used for conducting Physical Standards Test (PST), which includies height and Chest measurements for male, **candidates** and height and weight measurements for female **candidates.** 3. Biometric authentication and CCTV recording will be implemented for all events related to the enrollment of volunteers for the Home Guards, Rajasthan. Above activities will be carried out at the nine places i.e.- Ajmer, Alwar, Bharatpur, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, Sikar and Udaipur in the two phase (1st phase at 5 places and IInd Phase 4 Places)	3,88,455	621.53	12,43,060	2500	As per Annexure "E"

(पी. रामजी, IPS)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर

कार्यालय का नाम	निदेशालय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर
अनुमानित मात्रा/संख्या	संलग्न बोली आमंत्रण सूचना अनुसार
कुल अनुमानित कीमत	रूपये 621.53 लाख
बोली प्रतिभूति	संलग्न बोली आमंत्रण सूचना अनुसार
सप्लाई अवधि	As per Annexure "E"
बोली जमा कराने की अंतिम तिथि	बोली आमंत्रण सूचना अनुसार
बोली खुलने की तिथि	दिनांक 07.10.2025 दोपहर 1.00 बजे

नोटः— पूर्व में सम्पादित स्वयंसेवकों की नामांकन प्रक्रिया में प्राप्त आवेदन फार्म एवं नामांकन में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या के अनुपात के अनुसार इस नामांकन प्रक्रिया में प्राप्त 3,88,455 आवेदनों के अनुपात में लगभग 1,50,000 अभ्यर्थी उपस्थित होने के संभावना है।

संलग्नः— बोली आमंत्रण सूचना संख्या ———— दिनांक ————

(पी. रामजी, IPS)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
गृह रक्षा राजस्थान,
जयपुर

बोली (bid) की मुख्य शर्तेः–

1. शुल्क (fee) –

क. निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस (Bid Document Fees & Bid Processing Fees) एक ही चालान (Single Challan) से ऑन–लाईन, ई–ग्रास (e-GRAS) सिस्टम के माध्यम से (परिशिष्ट "य" के अनुसार) जमा कराया जाना है। :–

शुल्क का विवरण	शुल्क की राशि
प्रोसेसिंग फीस (यदि बोली लागत 50 लाख से कम है)	रू. 500
प्रोसेसिंग फीस (यदि बोली लागत 50 लाख से 1 करोड तक)	रू. 1500
प्रोसेसिंग फीस (यदि बोली लागत 1 करोड से 5 करोड तक)	रू. 2000
प्रोसेसिंग फीस (यदि बोली लागत 5 करोड से अधिक है)	रू. 2500

ख. बोली प्रतिभूति (Bid_Security):– बोली प्रतिभूति बोली के लिए प्रस्तुत उपापन्/सेवा की विषयवस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। एसएसआई इकाई के लिए बोली प्रतिभूति 0.5 प्रतिशत होगी तथा रूग्ण (Sick) उद्योगों की दशा में (एस.एस.आई से भिन्न) जिनके मामले औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित हैं, यह बोली के मुल्य का 1 प्रतिशत होगी।

ग. शुल्क जमा कराने की तिथिः– निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि एक ही चालान से ऑन–लाईन, ई–ग्रास सिस्टम के माध्यम से (परिशिष्ट "य") के अनुसार जमा कराया जाना है। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बोली में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जायेगा।

2. पात्रता (Eligibility)-

(i) बोली के इच्छुक बोलीदाता को, ई–बोली (e-Bid) में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर स्वयं का पंजीकरण कराना होगा। जो बोलीदाता ऑनलाईन टेण्डर्स में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम–2000 (I.T. Act 2000) के तहत डिजिटल सर्टिफिकेट्स (Type II व Type III) प्राप्त करने होंगे। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए. (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजिटल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास पहले से ही उपरोक्त वर्णित वैध डिजिटल सर्टिफिकेट्स उपलब्ध है, उन्हें पुनः डिजिटल सर्टिफिकेट्स लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) सेवाओं के लिए बोली आमंत्रण (e-bid) में अपेक्षित सूचना के अनुसार सेवाओं की बोलियां, संबंधित सेवा के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) एवं निर्माता द्वारा सेवा विशेष हेतु विशेष रूप से प्राधिकृत डीलर/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही दी जाऐगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट–'द' (घोषणा–पत्र) एवं तत्संबंधी लिखित दस्तावेजी साक्ष्य स्कैन कर बोली प्रपत्र के साथ उपलब्ध करवाना होगा।

3. अनुभव (Experience)-

(i) बोलीदाता को विगत 5 वर्षो में से कम से कम 3 बार आधुनिक उपकरणों से PET/PST तथा RFID उपकरणों द्वारा कम से कम 1,00,000 अभ्यर्थियों की दौड़ कराने का सफलतापूर्वक समय मापने का (विभिन्न सरकारी विभाग/उपक्रम में) अनुभव होना आवश्यक होगा। संबंधित विभाग/उपक्रम से इस बाबत् विगत पांच वर्षो में संबंधित विभाग से जारी कम से कम तीन कार्यादेश, संतोषजनक कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र एवं उनके भुगतान संबंधी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा ।

(ii) बोलीदाता फर्म (Bidder)/मूल निर्माता (OEM) का वार्षिक टर्नओवर कम से कम रूपये 5 करोड़ होना चाहिए, जिसके प्रमाण स्वरूप विगत पांच वर्षो में किन्ही दो वर्षों की बैलेंस शीट एवं लाभ–हानि खाता (Profit & Loss Account) की चार्टेड अकाउन्टेंट से प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से ऑनलाईन स्कैन प्रति प्रस्तुत करना होगा। सेवा के व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले निर्माता/डीलर को अपने बैंकर द्वारा फर्म का बैंकिंग व्यवहार व खाते में संतोषजनक लेनदेन होने की पुष्टि ऑनलाईन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(iii) बोलीदाता के पास RFID उपकरण द्वारा एक समय में कम से कम 05 स्थानों पर Simultaneously समय मापने का अनुभव होना आवश्यक है, जोकि गत 3 वर्षो में कम से कम 3 परियोजनाओं में किया गया हो। बोलीदाता के संयुक्त उपक्रम होने की स्थिति में यह अनुभव किसी एक पार्टनर का होना आवश्यक है। उक्त कार्य का बोलीदाता के पास सफलतापूर्वक कार्य करने का प्रमाण होना आवश्यक है।

4. दस्तावेज (Documents)-

(i) बोली के साथ बोलीदाता द्वारा वैध जीएसटी पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं GSTR/GSTR चालान की प्रमाणित प्रति ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी (इस संबंध में "परिशिष्ट–स" की शर्त संख्या 4 (ii) देखें)।

(ii) समस्त प्रमाण–पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण–पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित तथा सत्यापित होना चाहिए।

(iii) बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण–पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।

(iv) बोलीदाता द्वारा सभी विभागीय बोली शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप, परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक–'ब' पूर्ति कर एवं हस्ताक्षर करके ई–बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करने होंगे। इनके अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जायेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तों के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जायेगी और ई–बोली में उसको आगे की प्रक्रिया (Stages) में शामिल नहीं किया जायेगा।

5. वैधता (Validity)-

दरों की विधि मान्यता (Validity of Bids) बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि से 365 दिन होगी।

6. अन्य शर्ते (Other Conditions) –

(i) उपरोक्त वर्णित शर्तो एवं विभागीय बोली परिशिष्ट "अ" परिशिष्ट "ब", परिशिष्ट "स", परिशिष्ट "द", परिशिष्ट "य" एवं परिशिष्ट "ई" तथा Enclosure-I, Enclosure-II एवं Enclosure-III में उल्लेखित शर्तों के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।

(ii) निर्माता/सेवा प्रदाता फर्म का भारत में कार्यालय होना आवश्यक है, जिसके प्रमाण स्वरूप दस्तावेज उपलब्ध करवाना होगा।

(iii) ई–बोली में स्कैन कर ऑनलाईन उपलब्ध करवाये गए दस्तावेज ही स्वीकार्य होंगे। भौतिक रूप से बाद में कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। Rajasthan Transparency in Public Procurment Rules (RTPP Rules 2013) के अनुसार बोली कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

(iv) प्राधिकृत डीलर के रूप में प्रस्तुत करने पर बोलीदाता फर्म को निर्माता फर्म का आईटम/सेवा निर्माण का पंजीयन प्रमाण–पत्र, जीएसटी पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं निर्माता द्वारा जारी प्राधिकृत डीलर के प्रमाण–पत्र की स्कैन प्रति उपलब्ध करवानी होगी।

(v) वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान भारतीय रूपये में किया जाएगा।

7. राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम :–

राजस्थान की वे फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, के द्वारा बिड सिक्यूरिटी के संबंध में 0.50 प्रतिशत राशि ई–ग्रास के चालान के माध्यम से जमा कराई जायेगी। राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम/प्रावधान लागू होंगे।

8. डेमोस्ट्रेशन–

तकनीकी बिड (Technical Bid) में योग्य पाये जाने पर फर्म को 7 दिवस के नोटिस पर गृह रक्षा विभाग को डेमोंस्ट्रेशन (Demonstration) देना अनिवार्य होगा। डेमोंस्ट्रेशन के दौरान कार्यपूर्णता (Execution of work) में संबंधित फर्म सफल नहीं पाई जाती है, (विशेषकर दौड़ का समय/लैप के समय में, चिन–अप, गोला फेंक, उँचाई, सीना एवं वजन के माप–तौल में तथा अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन के डेमोंस्ट्रेशन में) तो उस स्थिति में फर्म/बोलीदाता को आगामी बिड प्रक्रिया से पृथक कर दिया जायेगा। डेमोस्ट्रेशन में योग्य पाये जाने पर ही बोली पर विचार किया जायेगा। इस संबंध में महानिदेशक गृह रक्षा, राजस्थान का निर्णय सभी संबंधित फर्म/बोलीदाता पर अंतिम व बाध्यकारी होगा।

9. सामान्य सूचना **(General Information)** –

(i) यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष में सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन (Substitute) किसी उपापन (Procurement) संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहृत (Forfeit) कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन (Procurement) संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित (Debar) किया जा सकेगा।

(ii) विस्तृत शर्तो को जानने के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट "अ" परिशिष्ट "ब", परिशिष्ट "स", परिशिष्ट "द", परिशिष्ट "य" एवं परिशिष्ट "ई" तथा Enclosure-I, Enclosure-II तथा Enclosure-III का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

(iii) बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने के बावजूद भी विभागीय उपापन समिति द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होना पाए जाने पर बोलीदाता से वांछित दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण, Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के प्रावधानानुसार प्राप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

(iv) विभागीय उपापन समिति के निर्णयानुसार महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार अथवा निरस्त कर सकेंगे।

(v) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 46 के तहत राज्य सरकार द्वारा विवर्जित **(Debar)** किये गये बोलीदाता, उक्त बोली प्रस्तुत करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

(vi) सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम की शर्ते/प्रावधान लागू होंगे।

(vii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिदेशक गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग राजस्थान, जयपुर होंगे।

(viii) बजट की उपलब्धता के अनुरूप क्रय किये जाने वाले सेवाओं/आईटमों की संख्या में कमी या वृद्धि अथवा बोली निरस्त (Drop) भी की जा सकेगी।

(ix) बोली के सम्बंन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो निम्न अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है:-

महानिरीक्षक पुलिस-IPS, निदेशालय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर
दूरभाष नं. 0141-2614423
ई-मेल:-trg.hghq.rj@rajasthan.gov.in

सीनियर स्टाफ ऑफीसर-II, निदेशालय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर
दूरभाष नं. 0141-2612018
ई-मेल:- trg.hghq.rj@rajasthan.gov.in

(पी. रामजी, IPS)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
गृह रक्षा राजस्थान,
जयपुर

निदेशालय,
।। गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ।।

<u>परिशिष्ट –'ई'</u>

For the Physical Efficiency Test (PET) and Physical Standards Test (PST) of candidates by scientific technique in the enrolment process for Home Guards Volunteers, following specifications and conditions related to 'Providing the Service' will apply in addition to General conditions mentioned in annexure "C"(स) at Serial no 1 to 31:-

DIGITAL RFID BASED P.E.T (for Stage I and II) and P.S.T. FOR ENROLMENT OF RAJASTHAN HOME GUARDS VOLUNTEERS

1. GENERAL INFORMATION:

1.1. Rajasthan Home Guards Department is planning to undertake the Physical Efficiency Test (PET) and Physical Standard Test (PST) of registered candidates i.e approx 3.8 lac, who would be participating in the Enrolment process for Home Guards Volunteers. This test is likely to be **conducted during next 365 days.**

1.2. PET & PST will be conducted at 09 different locations of the State i.e. Ajmer, Alwar, Bharatpur, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, Sikar, and Udaipur. The PET and PST tests will be conducted in two phase (1^{st} phase 5 places and in II^{nd} phase at 4 places). Approximately 2000-3000 candidates shall be called for PET and PST daily at each of these Centres. These Centres may be functional even on holidays.

1.3. The contractor should ensure that all the candidates who are called and report for the PET/PST on any particular day, shall be subjected to the test on the very same day. Further, rest of the candidates, if any, should be subjected to PET/PST on the subsequent day as decided by the Department, without any additional charges.

If there is any failure in completing the PET and PST for the number of candidates called and reported for a day, for the reasons attributable to the Firm / Agency, a penalty of **Rs. 25000/-per day** will be levied, apart from subjecting the candidate for PET and PST on the next day without additional charges.

2. REGISTRATION :

2.1. Based on the database provided by the Rajasthan Home Guards Department, the Vendor shall set up at least 5 (Five) Registration Counters and 5 (Five) PET/PST counters at each Centre.

2.2. When a candidate arrives for the PET, the Vendor would be required to examine the admit card and photograph, take thumb impression and match the relevant data of the candidate from the admit card and Departmental record provided at the site and issue him/her chest number, the details of which would be entered into the candidate's database. Chest jacket has to be provided by the Vendor itself.

2.3. Adequate servers and computer terminals with peripherals should be provided and maintained by the Vendor for Registration PET/PST of the candidates and for other purposes.

2.4. All the 5 Registration counters, 5 PET/PST counters must be connected to the server.

2.5. The PET Registration counters should be able to register at least 2000-3000 candidates per day at each centre.

2.6. Each PET Registration counter shall have a Computer attached with a Chip/Tag scanner and manned by an Operator. The Computer Operators shall be provided by the Vendor.

2.7. Provision shall be given for keying in the Roll Number. On Scanning / keying in, the candidate's Name, Roll number and other details should be fetched from the Server and displayed on the monitor.

2.8. On completion of the above mentioned process, the candidates shall be directed to undergo PET/PST. The Candidates who qualified in PET (I^st^ Stage - Run) will go for PET (II^nd^ Stage - Chin-Up (Male) and Shot Put (Female) All candidates who appear for PET II stage will be appearing for PST.

2.9. All computers should be Networked and linked to a server. Necessary back up measures should be available for the Server and Network to avoid any interruption in Registration process & PET services, while the PST is in progress. Registration Counters (Computers) shall have a Biometric Finger Print Scanner, Barcode Scanner & Webcam attached to each computer that is to be manned by an Operator. The Operator shall be provided by the Vendor.

3. PHYSICAL EFFICIENCY TEST (PET) : (I[st] Stage)

3.1. The candidates would be required to run the designated distance from the Start point to the Finish point, as specified by the Department for various categories of the candidates in the I[st] Stage of PET.

Note:- The details of the prescribed norms for qualifying PET are given in Volunteers Enrolment Advertisement No. 654-702 dated 09.01.2023 and corrigendum dated 04.08.2025 which is available on Rajasthan Home Guards Website https://www.home.rajasthan.gov.in/homeguards

3.2. The Operator shall scan and update the RFID Chip / Tag Number in the database, against the Candidate's Name/ Roll Number (ID). The RFID Chip / Tag should be attached to the ankle of the candidate or to any other visible part of the body, as decided by the Board. The candidate will also be issued a matching chest number (provided by Vendor) which will be added to his database.

3.3. On entering the running zone, the candidate shall be directed to the 'START' line. The movement of the candidates shall be regulated, in coordination with officials, in such a manner that the 'START' line and the Track shall not be interrupted at any point of time. The officials shall be provided by the Board.

3.4. "START Line"

3.4.1 The candidates shall be asked to run from the 'Start Line', by crossing the antennas/ mats, which will be placed here by the Vendor.

3.4.2 The antennas/ mats should have a 'Back-up' system for recording the timings of the candidates.

3.5 "FINISH" Line

3.5.1 When a candidate completes the run by crossing the "FINISH" line in the stipulated time, he/she shall be directed to take part in II[nd] Stage of PET.

3.5.2 The antennas/ mates placed at the 'FINISH' Line should also have a 'Back-up' system for recording the timings of the candidates.

3.5.3 The corresponding antennas/mats should function in synchronized manner i.e. first/main at 'START' Line with the first/main at 'FINISH' Line and similarly, second/back-up at 'START' Line with the second/back-up at 'FINISH' Line for recording the timings and arriving at the 'NET Timings' of the candidates.

3.6. The result of PET (I[st] Stage) will be announced as soon as the run gets completed. The vendor will be required to provide the related data to the Board immediately after the completion of the run. The data shall include: Start time, Finish time, Lap time, the total time taken by each candidate and the marks obtained in I[st] Stage of PET by each candidate.

3.7. The unsuccessful candidates of PET (I[st] Stage) will be declared disqualified for the IInd stage of PET and they should deposit their chest number back at the PET counter and shall be escorted out of the centre.

3.8. Recording of timings and measurements should be 100 percent error free.

3.9. The vendor will fix two digital clocks displays to enable the candidates to see the timing while they run for the test.

3.10. While arriving at the results of the candidates, the time recorded by the main system should be taken into account. Only in case of non-availability of the time recorded by the main system, the time recorded by the back-up system should be taken into account.

3.11. Based on the listing of qualified candidates, as per the requirement of the Board, the Vendor would be required to submit the data in a recordable media device as per the format and the schedule prescribed by the Department.

3.12. The vendor would also be required to submit daily report in hard and soft copy to the Department regarding number of candidates appeared, failed and qualified as per the format prescribed by the Department.

3.13. There should not be any kind of shortage of RFID based timing recording systems, number of equipments like computer terminals, communication equipments, etc. including back-up system.

3.14. The vendor shall conduct videography of all PET events and provide the digitalised data in soft copy.

4. PHYSICAL EFFICIENCY TEST (PET) (II[nd] Stage) :-

4.1. All Candidates who qualified in I[st] Stage of PET will be required to undergo II[nd] Stage of PET. i.e. Chin-Up for Male candidates and Shot-Put for Female candidates.

4.2. The chin-up for Male and shot-put for Female measurements (as applicable) shall be measured by the Vendor by using the Digital measurement equipments, connected to the computer. This computer must be connected to the single server of that centre.

4.3. The vendor will be required to provide the related data to the Board immediately after the completion of the II[nd] Stage of PET. The data shall include:

i. Male candidates: No of chin ups proformed and marks obtained accordingly.

ii. Female candidates:- Distance covered during shot put and marks obtained accordingly.

4.4. These marks obtained in PET (II stage) will be included for the final merit list.

5. PHYSICAL STANDARD TEST (PST):-

5.1. All the successful candidates who have qualified in PET (I[st] Stage) and appeared in PET (II[nd] Stage) would be called for PST. The Vendor shall arrange all the Hardware, Software, power back up/ UPS Generator Sets and required manpower on his own to ensure the uninterrupted conduct of PST. The provided Software needs to be capable of integrating all the data for the generation of reports. The department would provide the premises, electricity supply and emergency medical care during the events, temporary shelter/storage space for Vendor's equipments and the general security and safety of the Centres.

5.2. After PET (completing both the phases-I and II) the candidate should be evaluated for the Physical Standards that is he/she has to undergo the Physical Standards Test (PST). The Height, Weight/ Chest measurements (as applicable) shall be measured by the Vendor by using the Digital Height, Weight and Chest measurement equipments, connected to the computer. Two copies of the printed slip displaying the Height, Weight/ Chest measurements (as applicable) of the candidate should be generated. This computer must be connected to the single server of that centre.

Note:-The details of the prescribed norms for qualifying PST are given in Volunteers Enrolment Advertisement No. 654-702 dated 09.01.2023 and corrigendum dated 04.08.2025 which is available on Rajasthan Home Guards Website https://www.home.rajasthan.gov.in/homeguards

5.3. Adequate number of spare parts of measuring tapes and weighing machines should be provided by the vendor for uninterrupted conduct of PST.

5.4. Based on their measurements and criteria for PST specified by the Department, the candidates would be declared Fit or Unfit. The candidates who are found unfit in PST should deposit their chest numbers back at the PST counter and shall be escorted out of the centre.

5.5. All information related to Height, Weight/ Chest (as applicable) of candidates will be provided to the Board on daily basis.

5.6. PST of those candidates who fail in PST test will be carried out again (only once) in case the candidate desires so, once the Board gives the approval, as per the laid down process.

5.7. Photo and Thumb impression of each candidate should be available on the result sheet of PST.

6. AWARDING THE MARKS OF SPECIAL QUALIFICATIONS TEST :-

6.1. The Board will award the marks for special qualifications of the qualified candidates based on their Original Certificates.

Note:- The details of the prescribed norms for awarding the marks of special qualifications are given in Volunteers Enrolment Advertisement No. 654-702 dated 09.01.2023 and corrigendum dated 04.08.2025 which is available on Rajasthan Home Guards Website https://www.home.rajasthan.gov.in/homeguards.

6.2. The vendor will provide a result list to the board, which will include the following results:-

(i) Separate marking of scores obtained by candidates in PET(Ist & IInd Stage).

(ii) Separate marking of measurements of candidates who have participated in the PST.

(iii) Special qualifications related certificates and the scores assigned for them will be recorded in the sheet.

(iv) Marking of qualification documentary certificates.

6.3. The Board will provide the mark sheet or statement of marks comprising of the special qualification marks of the successful candidates to the service-provider.

7. PREPARATION OF RESULT:-

7.1. The Board shall prepare the Merit list of all the successful candidates consisting of total marks obtained by them in PET/PST and Special Qualifications which will be compiled by the service provider.

7.2. This Merit list shall be prepared in the descending order of marks obtained by the successful applicants.

7.3. The Board will prepare the category wise select list of successful candidates considering the provisions of Reservation given in the Advertisement Order No. 654-702 dated 09.01.2023 and corrigendum

dated 04.08.2025 which is available on Rajasthan Home Guards Website https://www.home.rajasthan.gov.in/ homeguards

7.4. This final selection list of the successful candidates so prepared by Board will be sent to the Directorate for approval of Director General, Home Guards.

7.5. For the effective preparation of result, vendor shall provide the test results in the format prescribed by Home Guard Headquarter to the respective Board.

For the execution of above mentioned scope of work for the enrolment of 3842 Home Guard volunteers, bid is hereby invited from interested bidders. Bidding process shall be as under:-

8. BID SECURITY (बोली प्रतिभूति) :-

(i) बोलीदाताओं द्वारा बोली के साथ बोली आमंत्रण सूचना में अंकित राशि अनुसार निर्धारित प्रकिया में बोली प्रतिभूति जमा करवाई जावेगी। बोली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त बोली, संक्षिप्त कार्यवाही के बाद निरस्त कर दी जावेगी।

(ii) बोली दाता द्वारा ई–बोली आमंत्रण सूचना में अंकित तिथि एवं समय पर बोली प्रतिभूति राशि ई–ग्रास (eGRAS) चालान की प्रति ऑन–लाईन प्रस्तुत करनी होगी। बोली प्रतिभूति राशि के चालान की प्रति के अभाव में तकनिकी बिड नहीं खोली जावेगी।

(iii) बोली प्रतिभूति राशि के चालान की फोटो प्रति तकनिकी बिड के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करनी होगी।

(iv) The bidder required to pay the bid security amount specified in the Terms and Condition of the bid,, in the following cases, namely:-

i. When the bidder withdraws or modifies its bid after opening of bids;
ii. When the bidder does not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
iii. When the bidder fails to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
iv. When the bidder does not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
v. If the bidder breaches any provision of code of integrity, prescribed for bidding, specified in the Act and chapter VI of RTPP Rules 2013 .

9. SUBMISSION OF PROPOSAL

(i) Submission of bids through online process is mandatory for this Tender. Bids sent by post, fax or e-mail or presented in person will not be considered.

(ii) The bidder should get itself registered on e-procurement portal (https://eproc.rajasthan.gov.in) and create user ID. Further to this, bidder shall download Notice inviting Bid (NIB) from this site. The complete bid document can also be seen on Directorate, Home Guards, Rajasthan website http://home.rajasthan.gov.in/homeguards and sppp.rajasthan.gov.in.

(iii) To participate in online bidding process, bidders must procure a Digital Signature Certificate (class 2 / class 3 category) as per Information Technology Act-2000 using which they can digitally sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any approved licensed Certifying Authority Bidders who already have a valid Digital Signature Certificate (DSC) need not procure a new DSC. This DSC will be used to sign the bids submitted online by the bidder. Unsigned bids shall not be entertained and be summarily rejected.

(iv) Bidder (authorised signatory) shall submit their offer on-line in Electronic formats both for technical and financial bid. The technical bid should also contain eGRAS Challan for Bidding Document fees, e-bid Processing Fee Bid security amount and scanned copy of Bid Securing Declaration.

In addition to this, copy of eGRAS Challan for Bidding Document fees, bid Processing Fee, Bid security amount and original Bid Securing Declaration must be submitted online within the scheduled date and time:-

(v) Directorate, Home Guards, Rajasthan, Jaipur will not be responsible for delay in online submission due to any reason. For this, bidders are requested to upload the complete bid well advance in time so as to avoid last minute issues like slow speed; choking of web site due to heavy load or any other unforeseen problems.

(vi) Utmost care must be taken to name the files/ documents to be uploaded on portal. There should not be any special character or space in the name of file, only underscores are permissible. The uploaded files that are unable to download, or corrupted, or password protected, or virus/malware infected, or the likes, shall not be accepted and the bid shall be liable to be rejected.

(vii) A two bid (Technical bid and financial bid) selection procedure shall be adopted. The Bid shall contain:-

a) **Part-A: Technical Bid**

This Part should contain the Technical bid consisting of a PDF copy of this Notice for Inviting Bid (NIB), each page digitally signed by the bidder in acceptance of the terms and conditions therein, along with scanned copy of all the required documents duly filled in support of eligibility and copy of eGRAS Challan for Bidding Document Fees and e-Bid processing fee, Bid security amount and Scanned copy of Bid Securing Declaration. Apart from being digitally signed, all the documents should be signed and stamped on each page, before scanning,

by the authorised representative of the bidder. All the applicable Annexure shall be duly filled wherever required physically signed & scanned (in PDF format) and digitally signed on each page and shall be submitted online as part of technical bid. **Financial proposal should not be indicated at any place in the Technical Bid, otherwise the Proposal shall be summarily rejected.**

b) **Part-B: Financial Bid**

This Part should contain the Financial Bid in the prescribed Format to be uploaded in a soft copy. Utmost care should be taken to upload the Financial Bid. Any change in the format of Financial Bid file shall render it unfit for bidding. Following Steps may be followed in submission of Financial Bid:-

I. Download format of Financial Bid in XLS/ XLSX format.
II. Fill 'Bidder's Name'& quote price per unit in Green background cells in the downloaded Financial Bid format. Don't fill-in other colour cells.
III. Validate the above sheet and save the same file in your computer and upload this duly filled file.

Note:- Rate will be quoted (with FOR) for both PET & PST. Rate quoted should be all-inclusive for carrying out activities as detailed in the scope of consultancy. It is to be noted that GST (CGST/SGST) and any other taxes, as applicable shall be payable extra as per the prevailing rate and rules.

While quoting rates in financial bid, the bidder must take into account existing tax structure as on last date of bid submission and later on no claims as issues regarding misinterpretation of tax liability, etc., shall be entertained.

10. EVALUATION OF PROPOSALS:- A triple stage procedure will normally be adopted:-

10.1. GENERAL

i) The bids will be opened online on e-procurement portal on the date and time, as specified in the Notice for Inviting Bid (NIB) in the presence of bidders or their authorized representatives who choose to attend the opening of Bid. The bidders or their authorized representatives who are present to witness the Bid opening shall sign an attendance sheet/ register evidencing their attendance as a witness to the Bids opening process. In the event of the specified date of Bid opening being declared a holiday, the Bids will be opened on the next working day at the same time and

place or on any other day/ time, as intimated by the Directorate, Home Guards, Rajasthan, Jaipur.

ii) Only Technical Bids will be opened first and evaluated as per the eligibility criteria set forth in this Bid Document.

iii) Financial Bids will remain unopened until the evaluation of technical bids and completion of demonstration stage. The Financial Bids of only those bidders who are short listed in Technical and Demonstration evaluation stage will be opened & evaluated. The time and date of opening of Financial Bids shall be communicated to technically and demonstration qualified bidders through state e-procurement portal https://eproc.rajasthan.gov.in. The technically and demonstration qualified bidders may attend the opening of the Financial Bid, if they so desire.

iv) The bidders or their authorized representatives who want to be present to witness the Financial Bid opening shall sign on attendance sheet / register evidencing their attendance as a witness to the Financial Bid opening process. In the event of the specified date of Financial Bid opening being declared a holiday, the Financial Bids will be opened on the next working day at the same time and place or on any other day/ time, as intimated by the Directorate, Home Guards, Rajasthan, Jaipur.

10.2. STAGE –Ist :-Evaluation Of Technical Bid:

i) The Bidder should take enough care to submit all the information sought by the Directorate, Home Guards, Rajasthan, Jaipur in the desired formats. The Technical Bids are liable to be rejected if information is not provided in the desired formats.

ii) Evaluation of technical bids to assess their suitability against the laid down conditions/ Qualitative Requirements and other conditions will be done on three criterions :-

a. बोलीदाता को विगत 5 वर्षो में से कम से कम 3 बार आधुनिक उपकरणों से PST तथा RFID उपकरणों द्वारा कम से कम 1,00,000 अभ्यर्थियों की दौड़ कराने का सफलतापूर्वक समय मापने का (विभिन्न सरकारी विभाग/उपक्रम में) अनुभव होना आवश्यक होगा। संबंधित विभाग/उपक्रम से इस बाबत् विगत पांच वर्षो में संबंधित विभाग से जारी कम से कम तीन कार्यादेश, संतोषजनक कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र एवं उनके भुगतान संबंधी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा ।

b. बोलीदाता फर्म (Bidder) का वार्षिक टर्नओवर कम से कम रूपये 5 करोड़ होना चाहिए जिसके प्रमाण स्वरूप विगत पांच वर्षो में किन्ही दो वर्षो की बैलेंस शीट एवं लाभ–हानि खाता (Profit & Loss Account) की चार्टेड अकाउन्टेंट से प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से ऑनलाईन स्कैन प्रति प्रस्तुत करना होगा। सेवा के व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले निर्माता/डीलर को अपने बैंकर द्वारा फर्म का बैंकिंग व्यवहार व खाते में संतोषजनक लेनदेन होने की पुष्टि ऑनलाईन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

c. बोलीदाता के पास RFID उपकरण द्वारा एक समय में कम से कम 05 स्थानों पर Simultaneously समय मापने का अनुभव होना आवश्यक है, जोकि गत 5 वर्षों में कम से कम 3 परियोजनाओं में किया गया हो। बोलीदाता के संयुक्त उपक्रम होने की स्थिति में यह अनुभव किसी एक पार्टनर का होना आवश्यक है। उक्त कार्य का बोलीदाता के पास सफलतापूर्वक कार्य करने का प्रमाण होना आवश्यक है।

10.3. STAGE- 2nd :-Evaluation of Demonstration:

Demonstration by the bidder who have cleared First Stage will be conducted before a designated Board of Officers. Bidders who qualify for demonstration stage will be informed about date, time and venue of demonstration by uploading their name on website http://www.eproc.rajasthan.gov.in, http://home.rajasthan.gov.in/homeguards and Procurement Portal of Government of Rajasthan (http://sppp.raj.nic.in). No separate information will be given. In case, during demonstration, it is observed that the Firm fails to meet the requirements as mentioned in this NIB (especially fails to ensure accuracy of race timing/ lap timing and accuracy in measurement of height, chest, weight of candidates and in handling registration of expected number of candidates) then the Financial Bid will not be opened. The decision of Directorate, Home Guards, Rajasthan, Jaipur in this regard shall be final and binding on all the firms/ bidders.

10.4. STAGE- 3rd :- Evaluation of Financial Bid:

i) The financial bids of the bidders who qualify in Technical and Demonstration evaluation shall be opened at the notified time, date and place by the bid evaluation committee in the presence of the bidders or their representatives who choose to be present.
ii) The names of the bidders, the rates given by them and conditions put, if any, shall be read out and recorded.
iii) Conditional bids are liable to be rejected.
iv) The evaluation shall include all costs and all taxes and duties applicable to the bidder as per law of the central / state government / local authorities.

11. <u>PAYMENT SCHEDULE</u>

11.1 The payment will be made on the basis of rate approved for PET and PST of actual numbers of candidates who appears for PET and PST.

11.2 The estimated number of participating candidate will be informed before the PET/PST process starts at each centre.

11.3 Part Payments will be made by the department, after obtaining job completion certificate from respective Chairman of the enrolment Board constituted by the department for conduction of PET and PST at various location as detailed in Scope of work.

11.4 Bid security deposit amount will be Forfeited, if vendor releases more than one result of a candidate.

11.5 In the event of accident at the work site on account of vendor's negligence or the negligence of his staff, penalty as deemed fit shall be imposed on the vendor and recovered from the final payment. Any damages/ compensation arising out of such incidents shall be borne by the vendor.

11.6 The number of candidates called per day shall be subjected to the PET and PST on the day itself. If there is any failure in completing the PET and PST for the number of candidates called and reported for a day, for the reasons attributable to the Firm / Agency, a penalty of **Rs. 25000/-per day** will be levied, apart from subjecting the candidate for PET and PST on the next day without additional charges. The decision of the concerned Enrolment Board in this regard shall be final and binding on the vendor.

11.7 In the event of any reduction in the quantities to be executed for any reason whatsoever, the contractor shall not be entitled for any compensation but shall be paid only for the actual quantity of work done, at the agreed rates of PET and PST.

11.8 The Price variation clause is not applicable in this contract.

12. Litigations:

The vendor shall present himself in the court, whenever called by any court of law. The department shall not pay any charges related to litigations in courts.

CHECK LIST FOR Bidder TO BE SUBMITTED ALONGWITH FOLLOWING DOCUMENTS, TO BE ATTACHED WITH THE BID

S.No.	Item of Check list	Yes/No	Page Nos.
(1)	Whether paging is done or not for entire set of bid and documents enclosed ?		
(2)	Bid-Security Challan copy yes or not ?		
(3)	Whether copy of service-tax registration is attached?		
(4)	Whether attested copy of GST Registration and GSTR Challan attached?		

(5)	Whether literature/catalogues are attached?		
(6)	Whether the details of the turnover for the requisite financial years of the Bidder is attached?		
(7)	Work order, completion certificate and Payment related Document for executing PET and PST successfully as per the conditions mentioned for technical eligibility criteria.		
(8)	Statement of works executed/ completed by the Bidder during last 5 Years.		
(9)	For RFID Work, The attested / original documents such as Letter of Acceptance or the copy of the Agreement or Work Order and the Completion Certificate issued by the authorities who have organised / conducted the timing events such as timing runners during PET/PST shall be enclosed in support of the claim.		
(10)	Details of contractual payment received in prescribed financial years.		
(11)	List of documents to be submitted in support of financial viability		
(12)	Whether the copy of challan for Bid document fees, Bid Processing fees, and Bid security amount is submited on-line.		
(13)	Whether technical bid is submitted online.		

(पी. रामजी, IPS)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा राजस्थान,
जयपुर

मैंने/हमनें उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

निदेशालय
।। गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।।
(बोली प्रपत्र–तकनीकी बिड)
परिशिष्ट "अ"

घोषणा

बोली आमंत्रण सूचना कमांकः–   दिनांकः–

(I) ....के लिए बोली
(खाली स्थान में उस सेवा का नाम लिखें, जिसके लिए बोली दी गई है)

(II) बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम :– ....
डाक का पूर्ण पताः ....
दूरभाष/मोबाईल नम्बर एवं ईमेल..

(III) बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी हैः– महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।

(IV) सन्दर्भः– बोली आमंत्रण सूचना संख्याः–..
दिनांक .... जो ....(समाचार पत्र का नाम)
दिनांक.......................... में प्रकाशित हुई है।

(V) बोली प्रपत्र शुल्क :– राशि रूपये .... ई–ग्रास (eGRAS)
चालान संख्या .... दिनांक ....द्वारा जमा करा दी गई है।

(VI) प्रोसेसिंग शुल्कः– राशि रूपये .... ई–ग्रास (eGRAS)
चालान संख्या ....दिनांक ....द्वारा जमा करा दी गई है।

(VII) बोली प्रतिभूति शुल्कः– राशि रूपये .... ई–ग्रास (eGRAS)
चालान संख्या ....दिनांक ....द्वारा जमा करा दी गई है।

(VIII)

(अ) सरकारी विभाग/उपक्रम में विगत पांच वर्षो में से कम से कम तीन बार आधुनिक उपकरणों से PET/PST तथा RFID उपकरणों द्वारा कम से कम 1,00,000 अभ्यर्थियों की PET सफलतापूर्वक कराने का अनुभवः–

क्रं सं	वर्ष	कार्यादेश का विवरण	अभ्यर्थियों की संख्या	सरकारी विभाग/उपक्रम का नाम (उपापन संस्था)

(ब) वार्षिक टर्नओवर (गत 5 वर्ष)

क्रं सं.	वित्तीय वर्ष	वर्षिक टर्नओवर की राशि

(स) गत पांच वर्षो में कम से कम तीन बार एक साथ न्यूनतम 05 स्थानों पर अभ्यर्थियों की PET एवं PST संपादित कराने का अनुभवः—

क सं	वर्ष	कार्यादेश का विवरण	स्थानों की संख्या	सरकारी विभाग / उपकम का नाम (उपापन संस्था)

(VIII) हम बोली आमंत्रण सूचना संख्या ....दिनांक........................ में वर्णित सभी शर्तो से तथा विभागीय शर्तो से संबंधित परिशिष्ट "स" तथा परिशिष्ट "ई" में वर्णित शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। परिशिष्ट "स" तथा परिशिष्ट "ई" के समस्त पृष्ठों में वर्णित शर्तो को स्वीकार किये जाने के प्रमाण—स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये गए हैं तथा उक्त दोनों हस्ताक्षरशुदा परिशिष्ट संलग्न हैं।

(IX) हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में अंकित सप्लाई अवधि में समस्त सेवा की सुपुर्दगी कर दी जाएगी।

(X) हम सम्पुष्टि (Confirm) करते है कि "प्राईसबिड" में अंकित की गई दरें बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि से 365 दिन तक विधि मान्य है।

(XI) हम सम्पुष्टि करते हैं कि "प्राईसबिड" में अंकित दरें विभागीय परिशिष्ट "ई" में अंकित स्पेसिफिकेशन के लिये हैं।

(XII) हमारा जीएसटी पंजीयन संख्या... है।

(XIII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईसबिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेंगे, करार के अभाव में बोली निरस्त योग्य है।

(XIV) हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बोली निरस्त करने योग्य है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्रं.सं.	वांछित दस्तावेजों का विवरण	हां / नहीं	जारी दिनांक / वैधता दिनांक
1.	बोली प्रपत्र शुल्क ई—ग्रास (eGRAS) चालान नं.................... दिनांक...................राशि.............................		
2.	प्रोसेसिंग फीस ई—ग्रास (eGRAS) चालान नं....................... दिनांक...................राशि.............................		
3.	बोली प्रतिभूति राशि ई—ग्रास (eGRAS) चालान नं....................... दिनांक...................राशि.............................		
4.	बोली की सभी शर्तो से सहमति का पत्र		
5.	परिशिष्ट 'द' (स्टेटस चिन्हित कराते हुए)		
6.	Enclosure-II (रिक्त स्थान की पूर्ति कराते हुए)		
7.	जीएसटी पंजीयन प्रमाण—पत्र की स्कैन प्रति		
8.	जीएसटी रिटर्न एवं जीएसटी चालान की स्कैन प्रति		
9.	उधमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) उधोग आधार मेमोरेण्डम की स्कैन प्रति		
10.	मूल निर्माता का सेवा प्रदान करने संबंधी पंजीयन प्रमाण—पत्र		

11.	ISO प्रमाण–पत्र की स्कैन प्रति		
12.	बोलीदाता का प्राधिकृत प्रतिनिधि संबंधी प्रमाण–पत्र		
13.	प्राधिकृत डीलर व एजेन्ट द्वारा बोली प्रस्तुत करने की स्थिति में (i) निर्माता द्वारा जारी प्राधिकृत डीलर का प्रमाण–पत्र		
	(ii) निर्माता/सेवा प्रदाता का जीएसटी पंजीयन प्रमाण–पत्र		
	(iii) निर्माता का सेवा प्रदान करने संबंधी पंजीयन प्रमाण–पत्र		
14.	बोलीदाता फर्म नवीन होने पर बैंकर का परिचय–पत्र बोली में अंकितानुसार		
15. —	अनुभव प्रमाण–पत्र (i) बोलीदाता को विगत 5 वर्षो में से कम से कम 3 बार आधुनिक उपकरणों से PET तथा PST तथा RFID उपकरणों द्वारा कम से कम 1,00,000 अभ्यर्थियों की दौड़ कराने का सफलतापूर्वक समय मापने का (विभिन्न सरकारी विभाग/उपक्रम में) अनुभव होना आवश्यक होगा। संबंधित विभाग/उपक्रम से इस बाबत् विगत पांच वर्षों में संबंधित विभाग से जारी कम से कम तीन कार्यादेश, संतोषजनक कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र एवं उनके भुगतान संबंधी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। (ii) बोलीदाता के पास RFID उपकरण द्वारा एक समय में कम से कम 05 स्थानों पर Simultaneously समय मापने का अनुभव होना आवश्यक है, जोकि गत 5 वर्षों में कम से कम 3 परियोजनाओं में किया गया हो। बोलीदाता के संयुक्त उपक्रम होने की स्थिति में यह अनुभव किसी एक पार्टनर का होना आवश्यक है। उक्त कार्य का बोलीदाता के पास सफलतापूर्वक कार्य करने का प्रमाण होना आवश्यक है।		
16.	वार्षिक टर्नओवर के संबंध में वांछित दस्तावेज (i) बोलीदाता फर्म (Bidder) का वार्षिक टर्नओवर कम से कम रूपये 5 करोड़ होना चाहिए जिसके प्रमाण स्वरूप विगत पांच वर्षों में किन्ही दो वर्षों की बैलेंस शीट एवं लाभ–हानि खाता (Profit & Loss Account) की चार्टेड अकाउन्टेंट से प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से ऑनलाईन स्कैन प्रति प्रस्तुत करना होगा। सेवा के व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले निर्माता/डीलर को अपने बैंकर द्वारा फर्म का बैंकिंग व्यवहार व खाते में संतोषजनक लेनदेन होने की पुष्टि ऑनलाईन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।		

(XV) हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है तथा अन्य भाषा में होने के कारण उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का स्वयं द्वारा सत्यापित अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया है।

(XVI) हम सम्पुष्टि करते हैं कि हमारे द्वारा प्राईसबिड को ई–बोली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन किया गया है।

नोटः–

1. क्रम संख्या (XIV) में अंकित संलग्नकों में दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा नहीं उसके सम्मुख 'Yes' or 'No' तथा दस्तावेज जारी होने की तिथि (Issuing date) एवं वैधता अवधि (Validity date) अंकित करना आवश्यक है।

2. बोली भरने की प्रक्रियाः–

   (ए) परिशिष्ट "अ" तकनीकी बिड है। तकनीकी बिड के साथ समस्त प्रमाण–पत्र एवं परिशिष्ट "ब" "स" "द" "य" एवं "ई" तथा Enclosure-I, Enclosure-II, एवं Enclosure-III में अंकित शर्तो की स्वीकार्यता की सहमति के लिए परिशिष्ट 'द' एवं Enclosure-II, हस्ताक्षर उपरान्त ई–बोली प्रपत्र के साथ उपलब्ध कराने होंगे।

   (बी) परिशिष्ट "ब" प्राईसबिड है। उसे ई–बोली में निर्धारित प्रारूप में भरा जावे। केवल तकनीकी बिड एवं Demonstration में सफल होने वाले बोलीदाताओं की ही प्राईसबिड खोली जायेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

परिशिष्ट "ब"
(बोली प्रपत्र–प्राईस बिड)

बोली आमंत्रण सूचना कमांकः–   दिनांकः–

1. ....के लिए बोली
(खाली स्थान में उस सेवा का नाम लिखें, जिसके लिए बोली दी गई है)
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम :– ....
डाक का पूर्ण पता :– ....
दूरभाष/फैक्स नम्बर एवं ईमेल आईडी :...
3. बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी हैः– महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. सन्दर्भः– बोली आमंत्रण सूचना संख्याः–..
दिनांक .... जो ....
(समाचार पत्र का नाम) दिनांक.. में प्रकाशित हुई है।
5. निम्नलिखित सेवा के लिए दरें एवं मात्रा निम्न प्रकार होगीः–
(क) परिशिष्ट 'ई' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप सेवा
का नामः– ....
(ख) मात्रा :– ....
(ग) बोलीदाता निम्नानुसार दरें अंकित करें:–
(I) दरें:– शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) एवं शारीरिक मापतौल परीक्षा (PST) की दर (FOR) (प्रति व्यक्ति):–
(क) अंको में (ई–टेण्डरिंग के निर्धारित फॉरमेट में ही दी जावे):
(ख) शब्दों में (ई–टेण्डरिंग के निर्धारित फॉरमेट में ही दी जावे):
(II) जीएसटी (CGST/SGST) एवं अन्य करः– (आपूर्ति के समय नियमानुसार देय):
(ई–टेण्डरिंग के निर्धारित फॉरमेट में ही दी जावे।)

नोटः–

(i) दरें शब्दों एवं अंकों दोनों रूप में लिखी जावे। दरों में कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं हो, सुनिश्चित किया जाये।
(ii) अस्पष्ट वाक्यों जैसेः– 'टैक्स पेड, कर सहित, 'एज एप्लीकेबल' का प्रयोग नहीं किया जावें।

6. जीएसटी में यदि कोई रियायत उपलब्ध है अथवा चाही गई हो तो तत्संबंधी तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इससे सम्बन्धित सक्षम अधिकारी के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति प्राईसबिड के साथ संलग्न करें।
7. बोली भरने की प्रकियाः–
ई–बोली प्रस्तुत करने की विस्तृत प्रकिया बोली आमंत्रण सूचना एवं परिशिष्ट–अ में उल्लेखित कर दी गई है। तदनुरूप ही बोली प्रस्तुत की जावे अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

निदेशालय,
।। गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ।।
परिशिष्ट–"स"

बोली आमंत्रण सूचना कमांक:..

खुली बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्तें

नोटः– बोलीदाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा ऑनलाईन इलैक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाईट पर प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. बोली भरने की प्रकिया :– बोली आमंत्रण सूचना में दी गई मुख्य शर्तो में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है।

2. विभिन्न श्रेणी के बोलीदाताओं हेतु विशेष शर्तेः–

(अ) निर्माता द्वारा बोलियांः–

(i) सभी सेवाओं के लिए बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सूचना के अनुसार सेवाओं की बोलियां संबंधित सेवा के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) एवं निर्माता द्वारा प्राधिकृत डीलर प्रतिनिधि द्वारा ही दी जा सकेंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट–'द' में घोषणा–पत्र भरकर उपलब्ध करवाया जावेगा एवं तत्संबंधी लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ दिये जायेंगे।

(ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित सेवा के वास्तविक निर्माता होने के प्रमाण स्वरूप सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।

(ब) राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम/प्रावधान लागू होंगे।

3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर को लिखित में बोलीदाता द्वारा आवश्यक रूप से दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं इस संबंध में महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर को लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. जीएसटी पंजीयन प्रमाण–पत्र/जीएसटीआर **(GST Return)** व चालान की प्रतिः

(i) कोई भी डीलर जो अपने मान्य व्यवसाय स्थान के राज्य में प्रचलित जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, बोली नहीं दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाएगा। प्रमाण–पत्र की प्रति ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) बोलीदाता द्वारा GSTR व जमा कराये गये जीएसटी के चालान की प्रति को ऑनलाईन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) यदि किसी सेवा पर जीएसटी (CGST/SGST) एवं अन्य कर लगता है तो उसकी दर फर्म द्वारा आवश्यक रूप से अलग से प्रस्तुत की जावेगी। यदि किसी फर्म ने कर सहित दरें प्रस्तुत की है तो उसमें जीएसटी की दर अलग से दर्शानी/बतानी होगी।

5. बोलीदाता बोली एवं बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट –'द' पूर्ण करने के बाद अपने हस्ताक्षर करने के उपरान्त ई–बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करेंगे। बोलीदाता द्वारा, बोली के साथ संलग्न Enclosure-II अपने हस्ताक्षर करने के उपरान्त ई–बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किया जावेगा। यदि बोलीदाता द्वारा उक्तानुसार परिशिष्ट 'द' एवं Enclosure-II ऑनलाईन प्रस्तुत नहीं किया गया है तो संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जावेगी।

6. यदि कोई बोलीदाता सेवा प्रदाय करने या सेवा प्रदाय करने में आंशिक रूप से असफल रहता है तो उसे तीन वित्तीय वर्ष तक विभागीय बोलियों में भाग लेने से विवर्जित (Debar) किया जा सकता है।

7. दरें:–

(i) बोली में दरें शब्दों एवं अंकों दोनों रूप में लिखी जाएं एवं इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

(ii) बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी:–

(क) ईकाई मूल्य (Unit Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो ईकाई मूल्य प्रभावी होगा अर्थात ईकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। बोली मूल्यांकन समिति की राय में यदि ईकाई मूल्य मे दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है तो ऐसे मामलों में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।

(ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो। ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन न रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।

(iii) बोली में दर अंकित करते समय GST अलग से अंकित की जावे व GST की कुल राशि या प्रतिशत अवश्य अंकित की जावे। अस्पष्ट वाक्य, जैसे "टैक्स पेड" "कर सहित" "एज एप्लीकेबल" का प्रयोग नहीं किया जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करें। यदि सरकार द्वारा GST में कालान्तर में बढ़ोतरी या कमी की जाती है तो बदली हुई दर के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

(iv) बोली में दर अंकित करते समय चुंगीकर (यदि कोई हो तो) अलग से अंकित की जावे तथा चुंगीकर की राशि या प्रतिशत भी अंकित किया जावे।

(v) बोली में दरें परिशिष्ट "ई" के अनुसार गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. अंकित की जानी चाहिए तथा उसमें चुंगीकर, जीएसटी (CGST/SGST)/बिक्रीकर/वेट के अलावा समस्त प्रकार के टैक्स एवं आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये। गृह रक्षा निदेशालय द्वारा द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभार नहीं दिया जाएगा तथा सेवा की सुपुर्दगी परिशिष्ट "ई" में अंकित परिसरों पर दी जायेगी।

(vi) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दर (Net Rate) ही दी जाये।

(vii) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नहीं दी जाये। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो ऐसी बोली को सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दिया जाएगा।

(viii) सफल बोलीदाता द्वारा सेवा प्राप्त होने पर उसके अनुमोदन उपरान्त, सेवा को विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर यथाशीघ्र तत्संबंधी भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय सेवा की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नहीं की जाये। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो इसे सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।

(ix) विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जाये। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नहीं दी गई दरें अमान्य होंगी व बोली निरस्त की जा सकेगी।

(x) बोली दरें खुलने के पश्चात् यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा, जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

(xi) बोलीदाता द्वारा बोली सूचना में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली सूचना में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नहीं होगी जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

8. दरों की तुलनाः–

(i) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रसारित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए भी दरों की तुलना की जायेगी।

9. बातचीत (Negotiation)-

(i) जहां तक संभव हो बोलीकारों से कोई बातचीत नहीं की जायेगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले बोलीकार/बोलीदाता से बातचीत की जा सकेगीः–

(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो।

(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।

(ii) न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्यांकन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले बोलीकार को सूचना प्राप्त हो गई हो।

10. बोली की विधि मान्यताः–

दरों की वैधता बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि से 365 दिन की अवधि तक के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि की विधि मान्यता वाली बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive Bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

11. अनुमोदित सेवा प्रदाता के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली सेवाओं की दशा, स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईंग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजेगा तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

12. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप भाग (Sub-let) पर नहीं देगा।

13. स्पेसिफिकेशन (Specification):–

(i) प्रदाय की जाने वाली सभी सेवाऐं बोली एवं बोली शर्तो से संबंधित परिशिष्ट 'ई' में निर्धारित स्पेसिफिकेशन/ट्रेडमार्क/सैम्पल के पूर्णतया अनुरूप होंगी। ऐसे मामलों में जहां कोई स्टैण्डर्ड या अनुमोदित नमूना या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति–उत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की सेवा सप्लाई की जावेगी। प्रदाय की गई सेवाओं की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में महानिदेशक गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।

(ii) यदि प्रदाय की जाने वाली सेवाऐं निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती हैं, तो अस्वीकृत सेवा के बदले निर्धारित स्तर की सेवा देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी तथा बोलीदाता को अस्वीकृत किये सेवा के बदले निर्धारित स्तर की सेवा बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।

(iii) अस्वीकृत किया गया सेवा बोलीदाता द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 योम के पश्चात् विभागीय परिसर से सेवा नहीं ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूला जाएगा। सेवा अस्वीकृत होने की सूचना के 30 योम पश्चात् बोलीदाता द्वारा विभागीय परिसर से सेवा नहीं ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत सेवा के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत सेवा की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

(iv) बोलीदाता द्वारा परिशिष्ट 'ई' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रस्तुत बोली निरस्त कर दी जावेगी।

14. निरीक्षण एवं परीक्षणः–

(i) महानिदेशक, गृह रक्षा, या उनके विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि युक्तियुक्त उचित समय पर सप्लायर के परिसर में जा सकेंगे तथा वह संबंधित सेवा के विनिर्माण के समय या उसके पश्चात् जैसा भी निश्चित किया जाएगा, सेवा/उपकरण/मशीनरी की सामग्री एवं कर्यकौशल का निरीक्षण एवं जांच कर सकेंगे।

(ii) बोलीदाता द्वारा सप्लाई किये जाने वाले सेवा का निरीक्षण करने के उद्धेश्य से अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम, वर्कशाप का पूर्ण पता तथा उन व्यक्तियों के नाम व पता देने होंगे जिनसे इस संबंध में सम्पर्क किया जा सकता है। व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले डीलर को अपने बैंकर्स से जारी एक परिचय–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(iii) सेवाओं की सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जायेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप हैं या नहीं। जहां आवश्यक हो, प्रावधित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में करवाया जायेगा। परीक्षण उपरान्त यदि सामान विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा तो उन्हें स्वीकार किया जायेगा।

(iv) परीक्षण प्रभारः– बोलीदाता से सामान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जायेगा उसका परीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया समान विहित स्तर या स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं है तो परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

(v) निरीक्षण प्रभारः– विभाग द्वारा जिन सेवाओं की प्रदायगी सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहों से निरीक्षण (Inspection) उपरान्त प्राप्त की जावेगी, उन सेवाओं का निरीक्षण बोलीदाता द्वारा कराये जाने पर निरीक्षण की एवज में देय निरीक्षण प्रभार की राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा। इस हेतु बोलीदाता को सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहों में जमा कराई गई राशि की रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

(vi) रद्द करना (Rejection) :- निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो सेवाऐं अनुमोदित नहीं की जाऐंगी उन्हें रद्द किया जायेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हें बदला जायेगा।

(vii) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जावे तो विभागीय उपापन समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेगी। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।

(viii) आपूर्ति किया गया सेवा निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरूद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

15. सेवा की सप्लाईः–

(i) यदि बोलीदाता द्वारा सेवा की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते है।

16. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

17. सुपुर्दगी अवधि **(Delivery Period)**

(i) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह 365 दिवस में सेवा की प्रदायगी करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी।

(ii) फर्म निर्धारित समयावधि में यदि सेवा की आपूर्ति करने में असफल रहती है तथा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढ़वाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण सप्लाई अवधि बढ़वाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सप्लाई अवधि बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया जावेगा।

(iii) निर्धारित की गयी प्रदायगी अवधि के बराबर अवधि तक, परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित, प्रदायगी अवधि में अधिकतम अभिवृद्धि की जा सकती है। किन्तु जिन मामलों में फर्म द्वारा सामग्री विदेशों से आयात करके सप्लाई की जानी है या किसी सिस्टम से संबंधित, सामग्री सप्लाई किए जाने के बाद, इन्सटालेशन किया जाना है वहां प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर ज्ञान में लाई गई बाधाओं से संतुष्ट होने पर सक्षम प्राधिकारी सप्लाई अवधि आगे बढ़ा सकेंगे।

18. सेवाओं **(Services)** एवं माल **(Goods)** के परिमाण (मात्रा) वृद्धि एवं पुनरादेश **(Repeat Orders)**

(i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई सेवा/माल का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(ii) यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियॉ आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया है तो अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Orders) संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50% से अधिक नहीं होगा।

(iii) अन्तिम प्रदायगी समाप्त होने की दिनांक से एक माह के बाद प्रदायगी के लिए पुनरादेश आदेश नहीं दिये जावेंगे। यदि बोलीदाता ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो विभाग सेवा की सप्लाई की व्यवस्था सीमित बोली द्वारा या अन्य प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत आएगी उसकी वसूली बोलीदाता से की जायेगी।

19. बोली प्रतिभूति (Bid Security)

(i) राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु तथा रूग्ण (Sick) उद्यमों एवं अन्य बोलीदाताओं द्वारा बोली के साथ बोली आमंत्रण सूचना में अंकित राशि अनुसार निर्धारित प्रकिया में बोली प्रतिभूति जमा करवाई जावेगी। बोली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त बोली, संक्षिप्त कार्यवाही के बाद निरस्त कर दी जावेगी।

(ii) बोली दाता द्वारा ई–बोली आमंत्रण सूचना में अंकित तिथि एवं समय पर बोली प्रतिभूति राशि ई–ग्रास (eGRAS) चालान की प्रति ऑन–लाईन प्रस्तुत करनी होगी। बोली प्रतिभूति राशि के चालान की प्रति के अभाव में तकनिकी बिड नहीं खोली जावेगी।

(iii) बोली प्रतिभूति राशि के चालान की फोटो प्रति तकनिकी बिड के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करनी होगी।

(iv) The bidder required to pay the bid security amount specified in the Terms and Condition of the bid, in the following cases, namely:-

i. When the bidder withdraws or modifies its bid after opening of bids;
ii. When the bidder does not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
iii. When the bidder fails to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
iv. When the bidder does not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
v. If the bidder breaches any provision of code of integrity, prescribed for bidding, specified in the Act and chapter VI of RTPP Rules 2013 .

20. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति **(Agreement and Performance Security):-**

(अ) बोली (Bid) में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 10 दिन में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है। अनुबन्ध करार के पश्चात् आपूर्ति आदेश दिया जावेगा।

(ब) करार पत्र के निर्धारित प्रारूप में निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है।

(स) बोलीदाता द्वारा निर्धारित प्रारूप में रूपये 500/— मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा।

(द) करार पत्र के साथ जिस सामान/सेवा के लिए बोली स्वीकार की गई है, उसके लिए निम्नांकितानुसार प्रतिभूति राशि निर्धारित रूप में जमा करानी होगी:—

(i) कार्य सम्पादन प्रतिभूतिः— कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केंद्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

(ii) सफल बोलीदाता द्वारा कार्य आदेश के मूल्य के 5% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) राशि जमा कराई जावेगी। एस.एस.आई. इकाई के मामले में यह 1% तथा रूग्ण उद्योग के मामले में यह 2% होगी।

(iii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर के नाम से निम्न रूप में दी जा सकेगी:—

(क) "ई.जी.आर.ए.एस. (eGRAS) के माध्यम से जमा"

(ख) किसी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्रॉफ्ट या बैंकर चैक द्वारा,

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियाँ जो उसे जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(ड) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम जारी होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (Discharged) की जायेगी। उपापन नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

(च) खण्ड ख से ड़ के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

नोटः– अनुबंध–पत्र के साथ गिरवी की हुई (Pledge) एन.एस.सी. पासबुक/डिफेंस बचत पत्र/किसान पत्र आदि प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(v) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्ध कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, निम्न अवधि अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाएगा।

(क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार सेवा की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर।

(ख) यदि सेवा की सप्लाई को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर।

(vi) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Performance Security):- कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) पूर्ण या आंशिक रूप से किया जाएगा:–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता संम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

(vii) करार–पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter Foil) बोलीदाता द्वारा निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

(viii) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जांऐंगेः–

(अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति।

(ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो तत्संबंधी पंजीयन संख्या एवं पंजीयन का वर्ष।

(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(द) कम्पनी के मामलें में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

(ix) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबन्ध–पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जावे।

21. बीमाः—

बोलीदाता द्वारा सामान/सेवा गंतव्य स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किये जाऐंगे। यदि सप्लायर चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (युद्ध, दंगे, विद्रोह, आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग/राज्य सरकार इन प्रभारों का भुगतान नहीं करेगी।

22. भुगतानः—

(i) सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गए सेवा के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा।

(ii) भुगतान करने पर किये गए प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जाऐंगे।

(iii) विवादास्पद वस्तु/सेवा के संबंध में 10% से 25% राशि रोकी जाएगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा।

(iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाऐंगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होंगे।

(v) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा।

(vi) परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):-

परिनिर्धारित क्षति के साथ प्रदायगी अवधि (Delivery Period) में विलम्ब करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन सेवाओं के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा हैः—

(क) विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए — 2.5%

(ख) विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि तक के लिए — 5%

(ग) विहित प्रदायगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई तक की अवधि के लिए — 7.5%

(घ) विहित प्रदायगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए — 10%

(ड.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।

(छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिए प्रदायगी अवधि में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु सप्लायर द्वारा यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त किया जाएगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद।

(ज) यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो उपापन संस्था प्रदायगी अवधि में परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित वृद्धि कर सकेगा।

नोटः— प्रदायगी अवधि की अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्यान्ह पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नहीं की जावेगी।

23. वसूलियाँः— परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई व रद्द की गयी सेवाओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई व रद्द किए गए सेवाओं के मूल्य की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उक्तांकित सेवाओं को नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ वसूली, उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी. डी.आर. एक्ट, 1952 या तत्समय प्रवृत कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

24. बोलीदाताओं को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।

25. बोली शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्त स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप से कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गए बोली स्वीकृति–पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।

26. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली सूचना में अंकित किसी भी सेवा को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

27. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।

28. बोली प्रस्तुत करने के बाद .बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किए हुये हैं, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।

29. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाही जा रही हैं वह स्वयं बोलीदाता
– या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक हैं अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नहीं होगी।

30. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण–पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।

31. बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने के बावजूद विभागीय उपापन समिति द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होना पाए जाने पर बोलीदाता से वांछित दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण, RTPP Rules 2013 के प्रावधानानुसार प्राप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

(पी. रामजी, IPS)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा राजस्थान,
जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
(बोली की समस्त शर्त स्वीकार
करने के प्रमाण–स्वरूप)

निदेशालय,
।। गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर।।

परिशिष्ट "द"
बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिस सेवा/स्टोर/कार्य के लिए बोली दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) थोक विक्रेता/थोक वितरक/सोल सेलिंग एण्ड मार्केटिंग एजेण्ट/प्राधिकृत नियमित डीलर/डीलर हूँ/हैं। मेरे/हमारे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ, ब, स, एवं ई तथा बोली सूचना को पूर्ण रूप से पढ़कर समझ लिया है। मेरे/हमारे द्वारा उन शर्तो की पूर्ण पालना की जाएगी। मैं/हम उपरोक्त को अक्षरशः स्वीकार करते है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जाए तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

DECLARATION

We solemnly declare that we have attached all the documents mentioned here above and mentioned in the Bid documents. We also understand that non-compliance in submission of any documents will be treated as no-responsive Bid and we will loose our claim to participate in the Bid automatically and our Bid will be liable to rejection.

Signature of Authorized person_______________
Name of Authorized person _______________

Seal of the Company

TO WHOMSOVER IT MAY CONCERN

We are the Service provider of..

We hereby certify that M/S (Name). .... of (Address)...is our authorized dealer\service provider. He is authorized to participate in the Bid Notice No....................................Dtd........................We hereby undertake to supply the service through him as desired.

(....................................) Signature of Manufacturer/Service provider

Name................................. Name..............................

Signature Attested Designation.....................

Seal of Manufacturer/Service provider

Enclosure - I

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Code of Integrity:-

Any person participating in this procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit any fact that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

   a. Have controlling partners/shareholders in common; or
   b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
   c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or
   d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
   e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
   f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
   g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Enclosure - II

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement/ providing of .... in response to the Notice Inviting Bid No........... Dated.................I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, That:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence as is required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Enclosure - III

Grievance Redressal during Procurement Process

The Designation and address of the First Appellate Authority:
Director General, Home Guards, Rajasthan Vidhyadhar Nagar Sector-4 Jaipur.

The Designation and address of the Second Appellate Authority:
Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Home, Government of Rajasthan, Secretariate, Jaipur

(1) Filling an appeal
If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to the First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases
No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-
   a. Determination of need of procurement.
   b. Provisions limiting participation of Bidders in the Bid Process.
   c. The decision of whether or not to enter into negotiations.
   d. Cancellation of a procurement process.
   e. Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

a. An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as the numbers of are respondents in the appeal.
b. Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
c. Every appeal may be presented to the First or Second appellate Authority, as the case may be. in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

a. Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal it shall be rupees ten thousand, and this shall be non-refundable.
b. The fee shall be paid in the form of bank demand draft or bankers cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of concerned Appellate Authority.

(7) Procedure for disposal of appeal

a. The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filling of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

b. On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall-

   i. hear all the parties to appeal present before him: and
   ii. peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

c. After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of this order to the parties to appeal, free of cost.

d. The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No..........of..........
Before the ....(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal
   ....
   ....
   ....
   (Supported by an affidavit)

7. Prayer
   :...
   ....
   ....
   ....
   ....
   Place ....
   Date..
   Appellants Signature

PROCEDURE FOR e-GRAS CHALLAN GENERATION CIRCULAR

राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

क्रमांकः प. 6 (5) वित्त/साविलेनि/2018 जयपुर, दिनांक : 27.04.2020

परिपत्र

विषयः–ई–ग्रास पर ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रकिया हेतु एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं RISL फीस जमा कराने एवं RISL फीस को कोषालय सचिवालय में संधारित पी.डी. खाते में हस्तान्तरित किये जाने की प्रकिया।

लोक उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता स्थापित करने के उद्देश्य से ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर ई–निविदाओं के प्रेषण के लिए एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं RISL फीस को ऑनलाईन ई–ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना आवश्यक है। इसके अन्तर्गत ई–ग्रास पर एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी राशि एवं RISL फीस जमा कराने एवं RISL फीस को कोषालय सचिवालय में संधारित पी.डी. खाते में हस्तान्तरित किये जाने की क्रिया विधि निम्नानुसार है :–

1. बिडर द्वारा ई–ग्रास पर प्रोफाइल बनाने के बाद ई–प्रोक्योरमेन्ट हेतु बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं RISL फीस का भुगतान एक ही चालान से ऑनलाइन जमा करवाया जायेगा। इस राशि में से बोली दस्तावेज मूल्य एवं RISL फीस रिफण्ड योग्य नहीं होगी। बिड सिक्योरिटी हेतु बजट मद 8443–103, 108 एवं 109 में जमा राशि नियमानुसार संबंधित विभाग द्वारा रिफण्ड किये जाने हेतु सिस्टम में व्यवस्था की गयी है। RISL फीस (i) सिविल विभागों की निविदाओं हेतु बजट मद 8658-00-102-(16)-[01] (सिविल विभाग), (ii) निर्माण विभागों की निविदाओं हेतु बजट मद 8658-00-102-(16)-[02] (निर्माण विभाग) (iii) वन विभाग की निविदाओं हेतु बजट मद 8658-00-102-(16)-[03] (वन विभाग) के अन्तर्गत जमा की जायेगी। बोली दस्तावेज मूल्य हेतु निर्धारित राजस्व मद में बिडर द्वारा राशि जमा कराने हेतु ई–ग्रास पर प्रावधान उपलब्ध रहेगा।

2. बिड सिक्योरिटी जमा कराने के लिए सभी विभागों हेतु बजट मद 8443–103 जबकि निर्माण कार्यों हेतु बिड सिक्योरिटी बजट मद 8443–108 (निर्माण विभागों) एवं 8443–109 (वन विभाग) में जमा कराने की दशा में डिविजन कोड का चयन ई–ग्रास पर किया जाना अनिवार्य होगा।

GFRRules-new

3. इस प्रक्रिया से जमा राशि का लेखांकन ई–कोषालय के स्तर पर किया जायेगा। ई–ग्रास पर उपलब्ध विभागवार/कार्यालयवार रिपोर्ट्स में जमा राशि से संबंधित रिपोर्ट्स प्रदर्शित की जायेगी।

4. ई–कोषालय में बिन्दु संख्या 1 में वर्णित बजट मद 8658-00-102-(16)-[01], [02], [03] के अन्तर्गत जमा RISL फीस को माह में दो बार बजट मद 8782–101 (Inter Treasury Transfer) के माध्यम से कोषालय (सचिवालय) जयपुर में RISL के पी.डी. खाते में जमा किये जाने हेतु समायोजन बिल के माध्यम से हस्तान्तरित किया जायेगा। जिसे कोषालय (सचिवालय) जयपुर द्वारा उसी माह में मद 8782–101 को माईनस क्रेडिट करते हुए RISL के पी.डी. खाते में अलग–अलग समायोजन बिलों के माध्यम से हस्तान्तरित किया जाना अनिवार्य होगा। यह सूचना ई–ग्रास से वॉम पर Seamless Data Sharing की व्यवस्था से हस्तांतरित की जायेगी। सिस्टम पर उपलब्ध रिपोर्ट्स के माध्यम से संबंधित निर्माण खण्ड ई–ग्रास पर जमा राशि व रिफण्ड राशि का स्टेटस भी देख सकते है।

5. निर्माण कार्यों से संबंधित बिड हेतु उक्त चालान से संबंधित राशि निर्माण लेखों में फार्म 80 में प्रदर्शित होने पर कोषालयों द्वारा चालान की प्रति प्रत्येक मद में जमा राशि के लेखों के साथ महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करवायी जायेगी।

6. उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत बिडर को प्रारम्भ में ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर बिड भरने के साथ–साथ ई–ग्रास पर एक चालान के माध्यम से ई–भुगतान का चयन करते हुए अपेक्षित राशि जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया को एन.आई.सी. द्वारा ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल से ई–ग्रास का इन्टीग्रेशन करते हुए अविलम्ब लिंक करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। व्यवस्था स्थापित होने तक बिडर को ई–ग्रास पर भुगतान होने के उपरान्त चालान CIN नम्बर के साथ जनरेट कर ई–प्रोक साईट पर स्केन कर अपलोड करना होगा। ई–ग्रास एवं ई–प्रोक्योरमेन्ट का लिंक स्थापित होने के उपरान्त अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा ई–ग्रास सिस्टम ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल से बिडर का नाम लेने के स्थान पर सिस्टम जनरेटेड कोड फेच करेगा तथा बिड फाइनल होने के बाद बिडर का नाम पूर्व के कोड से फ्लेग करते हुए किया जाना सुनिश्चित करेगा जिससे बिडर को होने वाले रिफण्ड भुगतान में असुविधा न हो। उपापन संस्था द्वारा ई–ग्रास पर कार्यालयवार उपलब्ध रिपोर्टस एवं ई–कोषालय के TY-33 से जमाओं का मिलान भी सुनिश्चित किया जावेगा।

7. ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल के ई–ग्रास पोर्टल से इन्टीग्रेशन के उपरान्त ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर निर्माण कार्यो से संबंधित बिड भरने हेतु बजट मद 8443–108,109 में बनाये गये चालान की राशि निर्माण लेखों में सम्मिलित किये जाने के उद्देश्य से प्रविष्टि एक कोड के साथ एन.आई.सी. वॉम को उपलब्ध करायी जावेगी। बिड खुलने के बाद उक्त प्रविष्टि हेतु संवेदक का नाम एवं अन्य विवरण एन. आई. सी. (वॉम) को उपलब्ध कराया जायेगा।

एनआईसी (वॉम) द्वारा तद्नुसार ही प्रविष्टि को निर्माण लेखों में सम्मिलित किया जावेगा, जिसके पश्चात ही बिड सिक्योरिटी राशि रिफण्ड किये जाने हेतु उपलब्ध होगी। इस हेतु ई–ग्रास व ई–प्रोक पोर्टल का इन्टीग्रेशन व लिंक किया जायेगा। ई–प्रोक पोर्टल से भुगतान हेतु संवेदक को ई–ग्रास पर आने का लिंक तथा ई–ग्रास पर भुगतान करने के तुरन्त पश्चात् ई–प्रोक पोर्टल पर जाने का लिंक भी दिया जायेगा।

8. ई–प्रोक्योरमेन्ट हेतु बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं RISL फीस का भुगतान एक ही चालान से ई–ग्रास के माध्यम से जनरेट किये जाने पर संबद्ध एजेन्सी बैंक को तीनों बजट मदों की कुल राशि एवं जीआरएन नम्बर के साथ प्रेषित किया जायेगा तथा बैंक द्वारा जमा राशि के स्क्रॉल दिये जाने पर सिस्टम पर ई–कोषालय को पृथक–पृथक उक्त तीनों मदो में जमा राशि के अनुसार चालान नम्बर जनरेट करने, लेखा सूचियां तैयार करने एवं लेखांकन करने हेतु व्यवस्था की जायेगी।

9. ई–कोषालय के स्तर पर उक्त जमा राशि का पूर्ण लेखांकन तथा मिलान दैनिक आधार पर अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. ई–प्रोक पोर्टल के अतिरिक्त की जाने वाली बिड हेतु (जिनमें RISL Fees जमा नहीं होती) भी बिड सिक्योरिटी हेतु बजट मद 8443–103, 108, 109 व बोली दस्तावेज मूल्य राशि निर्धारित राजस्व बजट मद में जमा कराने हेतु सिंगल चालान से उक्त माध्यम से बिडर/कार्यालय द्वारा जमा करवायी जा सकेगी। इस व्यवस्था में मेन्यूअल एवं ई–मोड उपलब्ध रहेंगे।

11. यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

अतः उक्त दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना की जावे।

27/4/2020

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव,
वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
4. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान ,जयपुर को सिस्टम पर एन.आई.सी. के माध्यम से पूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
7. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी समस्त विभाग को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
8. समस्त कोषाधिकारी को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर को सिस्टम में उक्त प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु।
10. निदेशक (तकनीकी), वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र को वित विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने का श्रम कराएँ।
11. रक्षित पत्रावली।

27/4/2020
(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR 5/2020)

GFRRules-new

राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

कमांकः प. 6 (5) वित्त/साविलेनि/2018 जयपुर, दिनांक : 9.7.2020

परिपत्र

विषयः– ई ग्रास पर एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं आरआईएसएल फीस जमा करवाये जाने की प्रक्रिया के चरण ।

वित्त विभाग के परिपत्र कमांकः प. 6(5)वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 द्वारा राज्य सरकार के सिविल विभागों, निर्माण विभागों तथा वन विभाग में लोक उपापन प्रकिया में ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर ई–निविदाओं के लिए एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं आरआईएसएल फीस को ऑनलाईन ई–ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा कराने के प्रावधान किये गये है। ई–ग्रास पोर्टल पर ऑनलाईन चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं आरआईएसएल फीस जमा करवाये जाने के संबंधित चरण निम्नानुसार हैः–

1. बिडर का ई–ग्रास पर लॉगिन पहले से नहीं बना हो तो सर्वप्रथम बिडर को ई–ग्रास पोर्टल पर New User sign Up से लॉगिन फार्म भरना है।
2. Login ID Password प्राप्त करने के पश्चात ई–ग्रास पोर्टल पर sign in करें।
3. चालान जमा करवाने हेतु Service Challan का ऑप्शन चयन करे।
4. Department का चयन करे। उसके पश्चात services के ऑप्शन में e-proc या Non-eproc ऑप्शन का चयन करे।
   उल्लेखनीय हैं e-proc के प्रकरण में केवल ऑनलाइन भुगतान ही स्वीकार किया जायेगा। Non -e-proc में दोनों विकल्प Manual (Offline) एवं e-mode (Online) मौजूद हैं।
5. चालान फॉर्म में period के option में one time के ऑप्शन का चयन करे।
6. Payment mode में online और offline दोनो ऑप्शन उपलब्ध है। ऑनलाइन मोड चयन करने पर संबंधित बैंक की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जायेगा।
   ऑफलाइन भुगतान करने की स्थिति में जिस बैंक का विकल्प चुना है उसकी संबंधित बैंक में चालान जमा कराना होगा। Manual (Offline) में केश/ चेक/डी.डी. द्वारा भुगतान का ऑप्शन उपलब्ध है।

विस्तृत प्रकिया ई ग्रास पोर्टल (https://egras.raj.nic.in/) पर User Manual में उपलब्ध है। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए ई ग्रास हेल्प डेस्क नंबर 0141–5111007, 5111010 पर संपर्क किया जा सकता है।

(टी. रविकान्त)
शासन सचिव,
वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/ जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/ सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त अंकेक्षण विभाग को उनके अधीनस्थ अंकेक्षण दलों द्वारा इन निर्देशों की पालनार्थ।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला क्लेक्टर/ संभागीय आयुक्त को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त उपापन संस्थाओं को इस परिपत्र की प्रति प्रेषित करा कर इसकी पालना सुनिश्चित करावें ।
12. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
13. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
14. समस्त कोषाधिकारी ।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव